

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर  
क्रमांक एफ1(1)(8538)/स्था/सान्याअवि/2026/ जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा- 2023 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप "बी" परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (परिवीक्षा अधिकारी) के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार L-11में देय स्थिर पारिश्रमिक राशि 26500/-रु. पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

**गैर अनुसूचित क्षेत्र**

SNO	MERIT NO	RNO	NAME	CATEGORY	BIRTH DATE	QUOTA
1.	412	1109289	URVASHI PARASHAR	GE,WE	15-08-1998	GM-AG
2.	415	1101670	HARSHIT SHARMA	GE	14-09-2002	GM-QT
3.	419	1117019	SAMEER	BC	25-10-1998	OM-QT
4.	424	1101083	HANUMAN SARAN	BC,RG	28-10-1996	OM-QT
5.	511	1106887	NIKITA CHOUDHARY	BC,WE	30-03-1999	OF-QT
6.	540	1110161	AJAY SHARMA	EWS	29-11-1992	EM-QT
7.	1318	1105725	SUNIL MEENA	ST,NG,RG	10-10-1993	TM-QT
8.	1570	1116233	PREMA RAM	SC	02-11-1997	CM-QT
9.	1662	1107011	NICKY GAGAR	SC,WE	11-11-2000	CF-QT
10.	1915	1109261	ANUJ KUMAR	BC,LV,RG	01-08-1992	OM-BL

**अनुसूचित क्षेत्र**

SNO	MERIT NO	RNO	NAME	CATEGORY	BIRTH DATE	QUOTA
1.	672	1119938	UMANG RAWAL	GE,TSP-UR	30-09-1999	UMT-QT

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

- उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन रहेगी।
- उक्त सेवा आवंटन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (सीधी भर्ती द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) नियम 1999 के नियम 20 के अन्तर्गत किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये सेवा प्राथमिकता क्रम के अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 द्वारा आवंटित किये जाने पर नियुक्ति दी जा रही है।

3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15 (1) वित्त/नियम /2017 दि. 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
4. गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से संबंधित कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दि. 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'बी' परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी(परिवीक्षा अधिकारी) के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
8. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुये इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी

का चरित्र प्रमाण-पत्र/पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होती है एवं उस प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार निर्णय लिया जाना है।

13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनकी नियुक्ति चरित्र/पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्ययन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/ संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दि. 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् 02 से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
15. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
16. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में शपथ पत्र आवश्यक होगा।
17. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित हों।
18. 1. नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवं उक्त नियुक्ति के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति।  
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।  
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।  
4. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।  
5. आपराधिक प्रकरणों के संबंध में self declaration अथवा शपथ पत्र।  
6. वैवाहिक होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना।  
7. गुटखे एवं धुम्रपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र।
19. उपरोक्त दस्तावेजों के साथ निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी-3/1 रेजीडेन्सियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, सिविल लाईन्स, जयपुर में दिनांक 24.03.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
20. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

21. उक्त नियुक्ति एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।
22. उक्त नियुक्ति के संबंध में अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण में कोई जानकारी/समस्या के लिए सम्पर्क हेतु श्री अशोक कुमार जांगीड, अतिरिक्त निदेशक मो.नं. 8005996373 डॉ भावना भगत, (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) हाल जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, मो. नं.9660134173 मुख्यावास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
जयपुर दिनांक:—यथा ई—हस्ताक्षरित

क्रमांक एफ1(1)(8538)/स्था/सान्याअवि/2026/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
8. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
9. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री .....।
11. व्यक्तिगत पत्रावली।
12. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव